



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-08/2023

दिनांक- 06 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति थाना सिधारी, आजमगढ़

थाना सिधारी का पूर्व जिला बदर, टाप टेन व हिस्ट्रीशीटर अपराधी 10 हजार रुपये की रंगदारी मांगने वाला शातिर अपराधी रविकान्त यादव उर्फ बड़क अवैध तमन्चा व दो कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक- 04.01.2023 को वादी मुकदमा राहुल राय पुत्र अमरनाथ राय सा० कसारी थाना रानीपुर जनपद मऊ ने थाना सिधारी पर शिकायत किया कि विपक्षी रविकान्त यादव उर्फ बड़क पुत्र अशोक यादव निवासी सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मेरे शराब ठेका पर आकर मारपीट किया गया व दिनांक 4.1.23 को पुनः शराब ठेका पर आकर असलहा दिखाकर 10 हजार रुपये की रंगदारी मांगने लगा न देने पर जान से मारने की धमकी दिया अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिस कारण प्रार्थी काफी डरा व सहमा है। इस सूचना पर तत्काल मु०अ०सं० 08/2023 धारा 386/323/506 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 05.01.23 को उ०नि० कमलनयन दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित टाप टेन व हिस्ट्रीशीटर अपराधी रविकान्त यादव उर्फ बड़क पुत्र अशोक यादव निवासी सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को अभियुक्त के घर ग्राम सर्फुद्दीनपुर से समय करीब 20.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा व 2 कारतूस जिन्दा 315 बोर किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 09/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है जो जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश दिनांक 20.9.2021 को 6 माह के लिये जिला बदर किया गया था। अभियुक्त थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 48-A है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०स० 09/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास

- 1.मु.अ.स. 224/16 धारा 308/323 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- 2.मु.अ.स. 209/19 धारा 41/411/413/414/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 3.मु.अ.स. 211/2019 धारा 307 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- 4.मु.अ.स. NIL/19 धारा 3(1) यू०पी० गुण्डा अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
- 5.मु.अ.स. 143/21 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
- 6.मु.अ.स. 144/21 धारा 411/413/414 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- 7.मु.अ.स. NIL/21 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सिधारी आजमगढ़
- 8.मु.अ.स. 01/22 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
9. मु०अ०सं० 08/2023 धारा 386/323/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
10. मु०अ०स० 09/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रविकान्त यादव उर्फ बड़क पुत्र अशोक यादव निवासी सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष
बरामदगी

एक अदद तमन्चा व 2 कारतूस जिन्दा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.प्र.नि. नन्द कुमार तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. उ०नि० कमलनयन दूबे चौकी प्रभारी मुसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़
3. हे०का० सत्येन्द्र नारायण सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
4. हे०का० अनिल कुमार पाठक थाना सिधारी आजमगढ़
- 5.का० उदयभान यादव थाना सिधारी आजमगढ़

थाना-मेहनाजपुर

जनसेवा केन्द्र से सीसीटीवी कैमरा की चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 06.01.23 को व030नि0 मोती लाल पटेल मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 04/2023 धारा 379 भादवि सम्बन्धित अभियुक्त 1. प्रवेश यादव पुत्र स्व0 लालजी यादव 2. आशीष यादव पुत्र रामनवल यादव 3. राजेश राम पुत्र गुदरी राम 4. प्रवीण कुमार पुत्र राजकुमार राम निवासी गण ग्राम उधरा चौरी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ की तलाश में घटनास्थल पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि दिनांक 31.12.22 की रात मनोज यादव के जनसेवा केन्द्र पर कैमरा चोरी करने वाले दो अभियुक्त प्रवेश यादव पुत्र लालजी यादव व आशीष यादव पुत्र रामनवल यादव निवासी गण उधरा चौरी थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ कहीं जाने की फिराक में सिहुका गेट मुख्य मार्ग पर खड़े हैं, इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर दोनो को पकड़ लिया गया दोनो ने क्रमशः अपना नाम प्रवेश यादव पुत्र लालजी यादव निवासी उधरा चौरी थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ 02. आशीष यादव पुत्र रामनवल यादव निवासी उधरा चौरी थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ बताया, अभियुक्तों को समय लगभग 12.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया | बाद गिरफ्तारी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग 1. मु.अ.सं. 004/2023 धारा 379 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास : 1. . मु.अ.सं. 004/2023 धारा 379 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. प्रवेश यादव पुत्र लालजी यादव, निवासी उधरा चौरी थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

2. आशीष यादव पुत्र रामनवल यादव निवासी गण उधरा चौरी थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1-. व030नि0 मोती लाल पटेल मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

मारपीट में एक गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना / इतिहास का विवरण- दिनांक- 05.01.2023 को वादी मुकदमा श्री जियालाल निषाद पुत्र घोल निषाद ग्राम खीरीडीहा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि विपक्षी अनूप पाण्डेय व भोला पाण्डेय निवासी गण ग्राम गोपलापुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा को मार पीट कर बेहोश कर दिया गया तथा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 07/2023 धारा 323/504/506/308 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

2. गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 06.01.2022 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विपुल पाण्डेय उर्फ भोला पुत्र बृजवासी पाण्डेय ग्राम गोपलापुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को समय 11.52 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 07/2023 धारा 323/504/506/308 भा.द.वि. थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विपिन पाण्डेय उर्फ अनूप उर्फ रानू पाण्डेय पुत्र स्व0 बृजवासी पाण्डेय निवासी ग्राम गोपलापुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. हे0का0 वीरेन्द्र यादव हे0का0 राम अशीष राय का0 प्रमोद कुमार थाना कप्तानगंज आजमगढ़

थाना-निजामाबाद

चोरी की घटना का सफल अनावरण; चोरी गये माल के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 05.01.2023 को वादी श्री रविदास शिष्य महन्थ सरजू दास निवासी दत्तात्रेय धाम थाना निजामाबाद आजमगढ़ के द्वारा मन्दिर परिसर में लगे स्ट्रीट लाईट/ सोलर लाईट की बैटरी चोरी हो जाने के संबंध में अज्ञात चोरो के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 007/2023 धारा-380 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों को आज दिनांक 06.01.2023 को गिरफ्तार किया गया। तथा धारा 411,413,414 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 06.01.2023 को उ0नि0 मो0 कुलदीप सिंह मय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 04

अभियुक्त 1. दुर्गेश मौर्य पुत्र श्रीप्रकाश मौर्य निवासी सहादतपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़, 2. प्रवेश मौर्य पुत्र बेचू मौर्य निवासी सहादतपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़, 3. शुभम बरनवाल पुत्र विद्यासागर निवासी गल्ला मंडी थाना निजामाबाद आजमगढ़ 4. शिवम बरनवाल पुत्र विद्यासागर निवासी गल्ला मंडी थाना निजामाबाद आजमगढ़ को असनी पुलिस के पास से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 03 अदद बैटरी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 007/23 धारा-380/411/413/414 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दुर्गेश मौर्य पुत्र श्रीप्रकाश मौर्य निवासी सहादतपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. प्रवेश मौर्य पुत्र बेचू मौर्य निवासी सहादतपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. शुभम बरनवाल पुत्र विद्यासागर निवासी गल्ला मंडी थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. शिवम बरनवाल पुत्र विद्यासागर निवासी गल्ला मंडी थाना निजामाबाद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 006/21 धारा 295ए, 505(2) भादवि व धारा 67 आईटी एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ बनाम शुभम बरनवाल पुत्र विद्यासागर निवासी गल्ला मंडी थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी- 03 अदद बैटरी चोरी की

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 कुलदीप सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2. हे0का0 अवधनाथ, का0 विरेन्द्र सिंह, का0 सुमित सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़